कार्यालय

नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थनगर

पार्किंग शुल्क वसूली हेतु नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थनगर सीमान्तर्गत पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु ठेका वर्ष 2021–22(01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) के लिए कार्यालय नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थनगर में दिनाक 31.03.2021 को समय 12.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। ककरहवाँ, बांसी, गोरखपुर एवं सोहास मार्ग स्टैण्ड की नीलामी अलग–अलग की जायेगी। इच्छुक बोली दाता निम्न शर्तो के अधीन बोली में भाग ले सकतें है। उक्त नीलमी से सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। तथा नगर पालिका के वेवसाइड वेवसाइड www.nppSiddharthnagar.in पर भी देखा जा सकता है।

शर्ते

1. पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका वर्ष 2021–22(01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) तक के लिए की जायेगी तथा बोली मे नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थनगर के किसी भी बकायेदार को भाग लेने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक बकायेदार द्वारा बकाया धनराशि बोली अधिकारी के समक्ष जमा कर रसीद बोली अधिकारी को न दिखा देगा।
2. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को चरित्र प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र जो कार्यालय जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हो तथा वर्तमान समय में प्रभावी हो। हैसियत प्रमाण–पत्र कम से कम दस लाख का हो वही मान्य होगा। जनपद के बाहर के व्यक्तियों को बोली में भाग लेने के लिए हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं स्थानीय दो व्यक्तियों की जमानत मय (नोटरी शपथ–पत्र) सहित देना अनिवार्य होगा। बिना चरित्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र जमा किये बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
3. बोली मे भाग लेने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत के रूप मे मु0 50,000.00 रूपये नकद जमा करना होगा, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय बोली की जमानत रोक कर शेष बोलीदाता की जमानत राशि बोली समाप्त होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी। बिना जमानत जमा किये किसी भी बोलीदाता को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. बोली समाप्त होने के उपरान्त अधिकतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करना होगा। सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त ही वसूली आदेश निर्गत किया जायेगा।
5. बोली जिसके नाम समाप्त होगी उक्त बोलीदाता को नियमानुसार अनुबन्ध स्वयं के व्यय से निर्धारित स्टाम्प पेपर पर 4 प्रतिशत कोषागार से कय करकें नगर पालिका के पक्ष में जमा करना होगा।
6. पार्किंग शुल्क की वसूली में किसी प्रकार के अवरोध (बैरियर) का प्रयोग नही की जायेगी।
7. पार्किंग शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थ नगर द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर एवं निर्धारित दर के अनुसार ही की जायेगी। निर्धारित दर से अधिक वसूली होने की शिकायत पर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. बोली के लिए निर्धारित तिथि 31/3/2021 से दो दिन पूर्व बोली दाता को आवश्यक प्रपत्र तथा निवास ,चरित्र व हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके परीक्षण के उपरान्त ही अन्तिम रूप से तैयार सूची के बोलीदाता को ही बोली का अधिकार होगा।
9. बोली मे केवल बोली दाता या उनके द्वारा किये गये अधिकृत प्रतिनिधि को ही अधिकार होगा।
10. किसी प्रकार की दैवी आपदा आदि की स्थिति में बोली की देय धनराशि में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगा।
11. पार्किंग शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थनगर द्वारा निर्धारित स्थल पर उन्हीं वाहनों से की जायेगी जो नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थनगर में सवारी लाने व ले जाने का कार्य करते है, अन्य किसी वाहन से नहीं है।
12. पार्किंग शुल्क की वसूली सवारी वाहन से प्रतिदिन के दर से की जायेगी ।
13. समय–समय पर शासन एवं प्रशासन तथा नगर पालिका द्वारा जारी एवं निर्गत आदेशों का पालन सम्बन्धित ठेकेदार को करना होगा।
14. स्वीकृत बोलीदाता को पार्किंग शुल्क वसूली में अनियमितता बरतने एवं शिकायत प्राप्त होने पर, जांच कराये जाने पर,शिकायत सत्य पाये जाने पर बोलीदाता द्वारा लिए गये ठेके को निरस्त किया जा सकता है तथा जमा धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।

15. बोलीदाता द्वारा किसी भी दशा मे माल वाहन सें पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जायेगी, यदि उक्त गाड़ी से वसूली किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त सत्य पाये जाने की दशा में ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
16. बोलीदाता को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं शर्तो को शिथिल करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
17. **नोट–संशोधित उपनियमावली सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित प्रयाराज, शानिवार, 20 मार्च, 2021ई0(फाल्गुन 29,1942 शक संवत्) के आधार पर संशोधित दर निम्नवत है–**

वाहन की दरें

	पूर्व निर्धारित दर	संशोधित निर्धारित दर
(क) प्राइवेट बस	रू0 60.00 प्रतिदिन	120.00 प्रतिदिन
(ख) मिनी बस टाटा 407	रू0 35.00 प्रतिदिन	70.00 प्रतिदिन
(घ) मेटोडोर / मैजिक	रू0 45.00 प्रतिदिन	90.00 प्रतिदिन
(ड0) टैक्सी,कार जीप	रू0 25.00 प्रतिदिन	50.00 प्रतिदिन
(च) टैम्पो	रू0 15.00 प्रतिदिन	30.00 प्रतिदिन

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्थनगर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्थनगर

कार्यालय नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थनगर।

संख्या– 2072(4) / न0पा0परि0सि0नगर / 2020–21 दिनांक 25/03/21

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) सिद्धार्थनगर।
3. उपजिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान क्रेन्द सिद्धार्थनगर।
5. थानाध्यक्ष सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित की दिनांक 31/03/21 कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करे।
6. नगर पालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिद्धार्थनगर।